न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/13 **निर्णय दिनांकः—24.09.2018**

1. भंवराराम पुत्र हरखाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर हाल चक 23 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 16—06—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 16—06—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 23 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 19/41 की 23 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था।

अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा पिछले दो वर्षो से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—06—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 19—02—13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—02—2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 23 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 19/41 में 23 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के विरूद्व 13650/— रूपये किश्त पेटे बकाया है तथा वह स्वयं मौके पर आबाद होकर काश्त नहीं कर रहा है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस कमांक 15950 दिनांक 24—08—1999 जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके फलस्वरूप

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का रकबा किश्तों के अभाव में दिनांक 16—06—1999 को निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना में बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, का आदेश दिनांक 16—06—1999 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 302 / 16</u>   निर्णय दिनांकः

1. सुशील कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट निवासी क 3 टीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनाक 17—07—2009
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के निर्णय दिनांक 17—07—2009 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 23 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 181 / 34 में भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—07—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 21—08—2014 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—07—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 21—08—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 23 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 181/34 में विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन के एक वर्ष से अधिक समय के उपरान्त भी आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। इस क्रम में अदालत मातहत द्वारा अपीलाट को दिनांक 21—11—2008 व 30—01—2009 को नोटिस जारी किये गये कि वे वादगत्/आवंटित भूमि के पेटे 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई।

इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियम 13 'ए' के तहत ऐसे आवंटन जिनकों 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो और आवंटन हेतु निर्धारित राशित का 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है तो ऐसे आवंटन उक्त नियम के तहत स्वतः ही निरस्त माने जाते है। अपीलांट द्वारा आवंटन के

करीब एक वर्ष उपरान्त भी आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू का आदेश दिनांक 17—07—2009 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक   को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 30/18</u> निर्णय दिनांकः

1. राजीव कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति सुथार निवासी चक 15 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—08—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18—08—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 1

एम डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 130 / 12 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18—08—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवांटित भूमि है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित अन्य भूमि का आवंटन किया जाता। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए मात्र अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 26—12—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद

कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—01—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 130/12 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।

विशेष आवंटन नियमों में आवेदित भूमि के आवंटन का ही प्रावधान निहित है। अन्य अन–आवेदित भूमि के आवंटन का प्रावधान विशेष आवंटन नियमों में निहित नहीं है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1999 सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक   को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 318/18</u> **निर्णय दिनांकः**

1. चौरू सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी खारिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—08—1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री विजय भादाणी , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23—08—1985 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील हाल पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक

23—08—1985 को 19 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 18 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 223/51 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/52 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/44 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/58 में 7 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 3/2 में 4 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुका है तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे

एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 23—08—1985 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 31—08—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—08—1985 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 31—08—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 23—08—1985 को 19 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 18 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 223/51 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/52 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/44 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 223/58 में 7 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 3/2 में 4 बीघा इस प्रकार कुल 25 अनकमाण्ड भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया

गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह

अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—08—1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 233/18 **निर्णय दिनांकः**

1. धापुदेवी पत्नी स्व. किशोरीलाल जाति नायक निवासी गांव करमीसर वार्ड नम्बर 06, तहसील व जिला बीकानेर।
2. सुखराम पुत्र स्व. किशोरीलाल जाति नायक निवासी गांव करमीसर वार्ड नम्बर 06, तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 15—01—1994
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 15—01—1994 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 15—081—1994 को 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 4 एस.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 136/35 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना

ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 15—01—1994 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 22—05—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—05—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 15—01—1994 को 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 4 एस.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 136/35 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की

कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 282 / 18</u> **निर्णय दिनांकः**

1. दीपचन्द पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी कालोड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 21—05—1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 21—05—1982 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 21—05—1982 को भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 7 के.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 148/47 के किला नम्बर 4 ता 7, 14, 15 की 6 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 की 19 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 148/31 के किला नम्बर 1, 2 एवं 10 की 3 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 3 ता 9 की 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया।

अपीलांट को आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 148/31 की 10 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट को नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 21—05—1982 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 19—07—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—05—1982 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—07—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त चक 7 के.के.एम. के मुरब्बा नम्बर

148/47 के किला नम्बर 4 ता 7, 14, 15 की 6 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 की 19 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 148/31 के किला नम्बर 1, 2 एवं 10 की 3 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 3 ता 9 की 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

उपरोक्त आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 148/31 की 10 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार—बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में

आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना–बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–05–1982 मुरब्बा नम्बर 148/31 की 10 बीघा भूमि तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर